अनुलग्नक

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य सुश्री इकरा चौधरी द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 192 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. **विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ-** किरण (डबल्यूआईएसई-किरण): विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) डबल्यूआईएसई-किरण के तहत कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए फेलोशिप प्रदान करता है। डबल्यूआईएसई- किरण के तहत विभिन्न कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

   क. पीएचडी के लिए डबल्यूआईएसई फेलोशिप (डबल्यूआईएसई -पीएचडी): डबल्यूआईएसई -पीएचडी का उद्देश्य महिलाओं को बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान में पीएचडी करने के लिए सहायता प्रदान करना है।

   ख. डबल्यूआईएसई पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (डबल्यूआईएसई-पीडीएफ़): डबल्यूआईएसई-पीडीएफ़ का उद्देश्य महिलाओं को बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान में पीएचडी के बाद अनुसंधान जारी रखने का अवसर प्रदान करना है।

   ग. डबल्यूआईएसई- सामाजिक चुनौतियाँ और अवसर (डबल्यूआईएसई-स्कोप): डबल्यूआईएसई -स्कोप महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए पोस्ट-डॉक्टरल अनुसंधान हेतु प्रोत्साहित करता है।

   घ. वैज्ञानिक ऊंचाइयों और नवाचारों के विकास और प्रवेश के लिए महिलाओं की प्रवृत्ति (विदुषी): विदुषी कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतःविषय क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना और सहायता प्रदान करना है।

2. **अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) के घटक उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (एसएचई):** इस योजना का उद्देश्य छात्रवृत्ति और मार्गदर्शन सहायता प्रदान करते हुए विज्ञान गहन कार्यक्रमों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं की रुचि बढ़ाना है।

   - प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 12000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
   - छात्रवृत्ति दर: 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 80,000 रुपये
   - छात्रवृत्ति योजना सभी के लिए खुली है।
   - पिछले 5 वर्षों में 48.79% पुरस्कार प्राप्तकर्ता महिलाएं थीं।

3. **एसईआरबी- अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना (एसईआरबी-पावर) फेलोशिप:** यह योजना 2020 में भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और

अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में कार्यरत उत्कृष्ट महिला शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए शुरू की गई थी।

- सहायता की प्रकृति: नियमित आय के अतिरिक्त 15000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप, 10 लाख रुपये प्रति वर्ष का अनुसंधान अनुदान और मेजबान संस्थान के लिए ओवरहेड्स
- फेलोशिप अवधि: 3 वर्ष
- अब तक 80 फेलोशिप स्वीकृत की जा चुकी हैं

ख. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. **डीबीटी बायोटेक्नोलॉजी कैरियर एडवांसमेंट और री-ओरिएंटेशन (बायोकेयर) फेलोशिप कार्यक्रम:** इस योजना का उद्देश्य भारत में जैव प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्र में अनुसंधान के लिए महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को बढ़ाना है। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- पीएचडी पूरी कर चुके आवेदकों के लिए 75,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप, तथा एम.टेक./एम. फार्मा और समकक्ष डिग्री पूरी कर चुके आवेदकों के लिए 58,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप।
- परियोजना अवधि: 3 वर्ष
- वर्तमान में, कुल 59 महिला शोधकर्ताओं को सहायता दी जा रही है

2. **एमके भान-यंग रिसर्चर फेलोशिप प्रोग्राम:** यह योजना वर्ष 2020-21 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य युवा प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं को पीएचडी के बाद डीबीटी स्वायत्त संस्थानों में अपना शोध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 75000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप; 20 लाख रुपये प्रति वर्ष का अनुसंधान/आकस्मिक अनुदान, तथा पूंजीगत उपकरणों की खरीद के लिए पूरे कार्यकाल के दौरान 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता।
- अधिकतम 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 50 तक फेलोशिप।
- यह फेलोशिप महिलाओं सहित पूरे भारत के सभी शोधकर्ताओं के लिए खुली है। वर्तमान में 17 पुरुष और 21 महिला युवा शोधकर्ता इस कार्यक्रम के तहत फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं।

3. **डीबीटी रामलिंगस्वामी पुनः प्रवेश फेलोशिप कार्यक्रम:** यह योजना उन भारतीय नागरिकों के लिए है जो जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशों में काम कर रहे हैं और भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान पद लेने में रुचि रखते हैं।

- सहायता की प्रकृति: 1 लाख रुपये प्रति माह की फेलोशिप + 18,500 रुपये प्रति माह (यदि लागू हो) का आवास किराया भत्ता; 13 लाख रुपये प्रति वर्ष का

अनुसंधान अनुदान, तथा मेजबान संस्थान को 50,000 रुपये प्रति वर्ष संस्थागत ओवरहेड

- 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष 75 तक फेलोशिप।
- यह फेलोशिप भारत भर के सभी शोधकर्ताओं के लिए खुली है, जिसमें महिलाएँ भी शामिल हैं। वर्तमान में, इस कार्यक्रम के तहत कुल 50 महिला शोधकर्ता फेलोशिप प्राप्त कर रही हैं।

4. **स्नातकोत्तर शिक्षण कार्यक्रम:** यह कार्यक्रम छात्रों और उनके मेजबान संस्थान को जैव प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्र में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करता है।

- अभ्यर्थियों को जीएटी-बी परीक्षा नामक कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाता है।
- चालू वित्त वर्ष में, 1304 में से कुल 771 छात्राएं इस कार्यक्रम के तहत एमएससी फेलोशिप प्राप्त कर रही हैं।

5. **डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप कार्यक्रम:** वर्ष 2004 से, यह विभाग जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान में अनुसंधान हेतु फेलोशिप की सुविधा के लिए इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है।

- अभ्यर्थियों को बायोटेक्नोलॉजी पात्रता परीक्षा (बीईटी) नामक कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाता है।
- वर्ष 2024-25 में कुल 1233 फेलो में से 701 महिलाएं फेलोशिप प्राप्त कर रही हैं।

6. **डीबीटी रिसर्च एसोसिएटशिप प्रोग्राम:** वर्ष 2004 से, इस कार्यक्रम ने देश में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए एक मजबूत पोस्ट डॉक्टरल आधार और एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की नींव रखी है।

- फेलोशिप अवधि: 2 वर्ष (4 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है)
- वर्ष 2024-25 में, कुल 167 चल रहे फेलो में से 112 महिलाएँ फेलोशिप प्राप्त कर रही हैं।

ग. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

1. **क्षमता निर्माण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप कार्यक्रम:** सीएसआईआर विज्ञान में डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान करने के लिए फेलोशिप/एसोसिएटशिप के लिए ऊपरी आयु सीमा में महिला अभ्यर्थियों को पांच वर्ष की छूट प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य महिला अभ्यर्थियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को करियर के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

- वर्तमान में, सीएसआईआर 7645 डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान कर रहा है। सीएसआईआर द्वारा सहायता प्राप्त कुल 7645 शोधकर्ताओं में से महिला शोधार्थी लगभग 46.5% हैं।

घ. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

1. **एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना:** मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र योजना।

- पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
- 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शेष 13 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर आदि सहित) की सभी पात्र छात्राओं से छात्रवृत्ति की कुल संख्या 10,000 (डिप्लोमा के लिए 5000 और डिग्री के लिए 5000) प्रति वर्ष है।
- योजना के तहत 50,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं।
- वर्ष 2023-24 में, 25234 छात्राओं ने इसका लाभ उठाया है।

2. **एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना:** वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्र योजना, जिसका उद्देश्य 40% से कम दिव्यांगता वाले विशेष रूप से सक्षम छात्रों को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना है।

- परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
- योजना के तहत 50,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं
- वर्ष 2023-24 में कुल 902 लाभार्थियों में से 311 महिलाओं ने लाभ उठाया है।

3. **एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना:** अनाथ बच्चों, कोविड-19 के कारण मारे गए माता-पिता के बच्चों, सशस्त्र बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के शहीदों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2021-22 से केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की गई।

- परिवार की आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- छात्रवृत्तियों की कुल संख्या 2000 है, जिनमें से प्रति वर्ष 1000 डिग्री छात्रों के लिए और 1000 डिप्लोमा छात्रों के लिए है।
- योजना के तहत 50,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं
- वर्ष 2023-24 में कुल 570 लाभार्थियों में से 171 महिलाओं ने लाभ उठाया है।

4. **एआईसीटीई स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** जिन छात्रों ने गेट/जीपैट/सीईईडी परीक्षा उत्तीर्ण की है और एआईसीटीई से अनुमोदित संस्थानों में एम.ई./एम.टेक/एम.आर्क./एम.डिजाइन/ एम.फार्मा पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

- छात्रों को 2 वर्ष की अवधि के लिए 12,400 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे

- वर्ष 2023-24 में कुल 13585 लाभार्थियों में से 4271 महिलाओं ने लाभ उठाया है।

5. एआईसीटीई डॉक्टरल फेलोशिप (एडीएफ): एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों में एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करके अनुसंधान और ज्ञान की एक सुदृढ़ संस्कृति को पोषित करने के लिए वर्ष 2018-19 से केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की गई

- परियोजना की अवधि: 5 वर्ष
- सहायता की प्रकृति: केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार 37,000 रुपये प्रति माह (जेआरएफ) और 42,000 रुपये प्रति माह (एसआरएफ) की फेलोशिप; आवास किराया भत्ता (एचआरए); और 15,000 रुपये प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान।
- वर्ष 2023-24 में, कुल 514 लाभार्थियों में से 213 महिलाओं ने लाभ उठाया है

6. **एआईसीटीई पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (पीडीएफ)**: 200 भारतीय इंजीनियरिंग, प्रबंधन, डिजाइन, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी, अनुप्रयुक्त विज्ञान, योजना, कंप्यूटर अनुप्रयोग, अनुप्रयुक्त कला शिल्प और डिजाइन, अंतर अनुशासनिक क्षेत्र के विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए जिन्होंने अपनी पीएचडी पूरी कर ली है और अनुसंधान और विकास में एक नियमित कैरियर बनाना चाहते हैं।

- सहायता की प्रकृति: 65000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप; केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार आवास किराया भत्ता (एचआरए); और 50,000 रुपये प्रति वर्ष का आकस्मिक अनुदान।

ङ. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)**

1. **स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति**: स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना में 50% स्लॉट विज्ञान (एसटीईएम) विषयों के लिए और 30% स्लॉट महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

- 2 वर्ष की अवधि के लिए छात्रों को प्रति माह 12,400 रुपये प्रदान किए जाएंगे
- छात्रवृत्ति स्लॉट: 10,000

2. **यूजीसी नेट-जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सावित्रीबाई ज्योति राव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फेलोशिप**: ये फेलोशिप एसटीईएम शिक्षा सहित सभी विषयों में पीएचडी करने के लिए प्रदान की जाती हैं। एसटीईएम विषयों में कुल 11,775 स्कॉलर में से 6,591 महिलाएँ हैं जो कुल फेलो का 55% से अधिक है।

च. इसके अलावा, सरकार विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान में महिलाओं सहित भारतीय छात्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं लागू कर रही है। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित मानदंडों सहित इन योजनाओं का विवरण निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है:

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	वेबसाइट लिंक
1.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	विवरण https://socialjustice.gov.in/scheme-cat पर उपलब्ध हैं
2.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	विवरण https://tribal.nic.in/Scholarship.aspx पर उपलब्ध ।
3.	उच्चतर शिक्षा विभाग	विवरण https://www.education.gov.in/scholarships-education-loan-0 पर उपलब्ध ।
4.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	विवरण https://www.ugc.gov.in/Home/student_Corner पर उपलब्ध हैं
5.	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	विवरण https://www.aicte-india.org/bureau/rifd/Scholarship-Schemes पर उपलब्ध ।
6.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	विवरण https://www.minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=2&ls id=661&lid=823 पर उपलब्ध ।
7.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	विवरण https://dst.gov.in/inspire-scheme-innovation-science-pursuit-inspired-research पर उपलब्ध ।

*****